

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर


क्रमांक : एफ.55()अभि./सीई/डीएलबी/2018 37/31-142

दिनांक : 11/05/18

स्वीकृति आदेश

अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, झालरापाटन से प्राप्त पत्र क्रमांक 4803 दिनांक 15.02.2018 के क्रम में चन्द्रभागा नदी के विकास कार्य हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई डीपीआर के आधार पर राशि रूपये 5.00 करोड़ (अक्षरे राशि रूपये पांच करोड़ मात्र) की लागत से कार्य करवाये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त राशि राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) से उपलब्ध कराई जायेगी।


कार्य की क्रियाविती एवं राशि की उपयोगिता के सम्बन्ध में RTPP Act. 2012 / Rules 2013 के नियमों/उपबंधों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।


(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ.55()अभि./सीई/डीएलबी/1837/31-142
प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक : 11/05/18

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज. सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, झालावाड़।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, कोटा।
7. मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय।
8. परियोजना निदेशक, निदेशालय।
9. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, झालरापाटन।
10. सिस्टम एलनालिस्ट निदेशालय, वेब पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रावली।


(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता